पूर्व मध्य रेल
East Central Railway

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
सोनपुर मंडल

सं0–का/227/09/चिकित्सा/सीएल/10/08/सोन

दिनांक 10.07.2023

अधिसूचना

विषयः सोनपुर मंडल पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत पारा मेडिकल कर्मचारियों का चिकित्सा विभाग/सोनपुर में अस्थायी रूप से दि0 30.06.2024 तक पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2005/RC-4/SC/2Pt.I Dated 21.06.2023

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2005/RC-4/SC/2Pt.I Dated 21.06.2023 के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटो से रेल सेवा से सेवानिवृत पारा मेडिकल कर्मचारियों से सोनपुर मंडल के चिकित्सा विभाग में निम्नलिखित पदों के विरुद्व मासिक पारिश्रमिक के आधार पर **दि0 30.06.2024** तक पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है:–

अधिसूचना हेतु पद :–

क्रम सं	पद का नाम	पदों की संख्या
1	Pharmacists	01
2	Physiotherapists	01
3	Radiographers	02

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटो से सेवानिवृत वैसे कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हों, से **अनुलग्नक–'ए'** के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

पदो के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं।

1. चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी पहले से ही उस विशिष्ट पद पर काम कर चुके हैं, जिसके लिए आवेदन किया गया है।
2. वैसे कर्मचारी, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत/पदच्युत या सेवा से बरखास्त किये गये हों और संरक्षा संबंधित सेवानिवृति योजना (SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृति योजना (LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत हुए हों, वैसे कर्मचारी अवेदन करने के पात्र नही होगें।
3. आवेदित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाये जाने पर हीं अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
5. पुनर्नियोजित किए गए कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन (अर्थात् Basic Pay+DA) से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी। तथा वार्षिक वेतन वृद्वि/मँहगाई भत्ता/एचआरए देय नही होगा ।
6. निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और सुनिश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
7. सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

8. 'सेवानिवृत कर्मचारी का पुनर्नियोजन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजन से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
9. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानांतरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जायगा ।
10. प्रशासन पुनः नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है। यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त किया जा सकता है।
11. पुनःनियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।
12. ऐसी पुनःनियोजित की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।
13. कर्मचारियों की पुनःनियोजन पीएलबी या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र नहीं होगें ।
14. पुनःनियोजित कर्मचारियों को ईसीए, पीडब्ल्यूए, भुगतान के तहत किसी भी कवरेज के लिए कवर नहीं किया जाएगा।
15. ग्रेच्युटी अधिनियम या रेलवे सेवा के लिए स्वीकार्य कोई अन्य वैधानिक अधिनियम पुर्नःनियोजित कर्मचारी पर लागू नही होगा ।
16. पुनः नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात सीजीए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
17. पुनःनियोजित कर्मचारी नियमित की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे ।
18. यदि पुनःर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है, तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलिफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
19. पुनःर्नियोजित कर्मचारियों से Cash Handling का कोई भी कार्य नही कराया जाएगा।
20. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस, Show Cause या Explanation के इनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।
21. पुनःर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेगें की आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थायी है।
22. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विर्निदिष्ट नियम आप पर लागू होगें तथा भविष्य में भी समय–समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों–उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगें।
23. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
24. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पोस्टिंग पर कर्मचारियों को स्थानांतरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, या पद सरेंडर के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है. या 30.06.2024 को, जो भी पहले हो, पुनःनियोजित कर्मचारियों को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वःअभिप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न होनी चाहिए :–

(i) सेवा प्रमाण पत्र
(ii) पेंशन पहचान पत्र
(iii) पेंशन भुगतान आदेश
(iv) अंतिम वेतन पर्ची
(v) बैंक पासबुक की छायाप्रति
(vi) नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
(vii) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
(viii) शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हो एवं सहमत हो तो, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा **अनुलग्नक–'ए'** के माध्यम से सभी सबंधित प्रपत्रों के साथ सलग्न कर **दिनांक 31.07.2023** तक मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय/सोनपुर के **सिंगल विंडो सिस्टम (SWS)** के माध्यम से जमा करेगे, जिसमें लिफाफा पर सबसे उपर में " **पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद**" का उल्लेख करते हुए आवेदन दे सकते है। **दिनांक 31.07.2023 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।**

आवेदन भेजने का पता :–

मंडल कार्मिक अधिकारी (प्रभारी)
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय
सिंगल विंडो सिस्टम (SWS)
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर
बिहार – 841101

(चन्द्र किशोर)
सहायक कार्मिक अधिकारी–।
कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महाप्रबंधक (कार्मिक)/सर्तकता/पूमरे/हाजीपुर
2. म.रे.प्र./सोनपुर के निजी सचिव – म.रे.प्र. महोदय के सादर सूचनार्थ
3. अमरेप्र–। एवं ।।/सोनपुर
4. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर
5. मरेप्र (कार्मिक)/समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद एवं दिनदयाल उपाध्याय मंडल/पूर्व मध्य
6. सभी शाखाधिकारी/पूमरे/सोनपुर
7. सूचना पट्ट सोनपुर
8. भर्ती अनुभाग, समापक, बिल अनुभाग एवं सभी कर्मचारी कल्याण निरीक्षक
9. मंडल मत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा–अजजा एसो0/सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर

अनुलग्नक – 'ए'

पूर्व मध्य रेल

पूमरे से रेल सेवा से सेवानिवृत पारा मेडिकल कर्मचारियों के चिकित्सा विभाग/सोनपुर में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।

(अधिसूचना सं0: का/227/09/चिकित्सा/सीएल/10/08/सोन दिनांक 10.07.2023)

सेवा में,

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल सोनपुर
पिन न0 841101

मैं पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा विभाग/सोनपुर में दि0 30.06.2024 तक पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है:–

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवा निवृति के समय धारित पद :
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवानिवृत हुए :
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवानिवृति तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैण्ड + ग्रेड पे/पे लेवल (सेवानिवृति के समय) :
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि :
11. यदि सामान्य सेवा निवृति के अलावे सेवानिवृत हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावें :

Voluntary Retirement	Compulsory retirement/Dismissal Removal	LARSGESS/SRSS	Other

Self - attested Photograph of retd. Railway Employee

(Sign across the photo)

12. पत्राचार का पता (पिन नम्बर सहित) :
13. मोबाइल नम्बर : 1. ..... 2. .....
14. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं वेतन बैंड :
15. बेसिक पेंशन :
16. सेवा निवृति के समय मेडिकल कोटि :
17. पी.पी.ओ नम्बर :
18. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :
    - (i) सेवा प्रमाण पत्र
    - (ii) पेंशन पहचान पत्र
    - (iii) पेंशन भुगतान आदेश
    - (iv) अंतिम वेतन पर्ची
    - (v) बैंक पासबुक की छायाप्रति
    - (vi) नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
    - (vii) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
    - (viii) शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

मै एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मै दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मै यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिये गये निर्धारित नियमों एवं शर्तो को निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगीं। मै SRSS/LARSGESS एवं Medical Unfit for all categories से सेवा निवृत नहीं हुआ/हुई हूँ। 15 दिनों की पूर्व सूचना पर, बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताये मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक :
स्थान :

.....
सेवानिवृत कर्मचारी का हस्ताक्षर